भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 611

03 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

एसडीएफ के अंतर्गत चीनी मिलों को ऋण

611. श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमाः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चीनी विकास निधि (एसडीएफ) के अंतर्गत चीनी मिलों को वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो कितनी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और मिल-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है:

(ग) एसडीएफ योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) चीनी मिलों से कितना उपकर संग्रहीत किया गया है और वास्तव में कितनी राशि का उपयोग किया गया है; और

(ङ) एसडीएफ योजना के अंतर्गत अप्रयुक्त रह गई राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क), (ख) एवं (ग): चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ चीनी मिलों के आधुनिकीकरण सह विस्तार, गन्ना विकास, खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाएं, एनहाइड्रस अल्कोहल या इथेनॉल/जीरो लिक्विड डिस्जार्च (जेड एल डी) संयंत्र के उत्पादन के लिए चीनी मिलों को ऋण दिए गए थे।

इस योजना के अंतर्गत, चीनी मिलों को एसडीएफ ऋण के रूप में ₹ 9,005 करोड़ की धनराशि वितरित की गई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

...2/-

क्र. सं.	एसडीएफ ऋण का प्रकार	संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)
1.	आधुनिकीकरण	3,375 रुपए
2.	गन्ना विकास	1,074 रुपए
3.	सह-उत्पादन	3,369 रुपए
4.	इथेनॉल/जेडएलडी	1,187 रुपए

पिछले पांच वर्षों के दौरान चीनी मिल-वार संवितरण के आंकड़े संलग्न हैं।

चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना दिनांक 21.09.2021 से बंद कर दी गई है। हालाँकि, जिन चीनी विकास निधि ऋण मामलों में प्रशासनिक स्वीकृति बंद होने से पहले ही जारी हो चुकी थी, उन पर विभाग में विचार किया गया। वर्तमान में, ऋण संवितरण के लिए कोई प्रशासनिक स्वीकृति लंबित नहीं है।

(घ) और (ङ): दिनांक 30.06.2017 तक 12,834 करोड़ रुपए का चीनी उपकर एकत्रित किया गया (केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम, 2017 के लागू होने पर उपकर समाप्त कर दिया गया था)। इसमें से, दिनांक 31.03.2018 तक 10,196 करोड़ रुपए की राशि चीनी विकास निधि में स्थानांतरित कर दी गई और इसका उपयोग चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 और चीनी विकास निधि नियम, 1983 के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु किया गया। उपकर खाते में शेष राशि भारत की समेकित निधि में स्थानांतरित कर दी गई। वर्ष 2018-19 से, इस योजना के अंतर्गत व्यय सामान्य बजटीय प्रावधानों के माध्यम से पूरा किया गया।

*****

अनुबंध

एसडीएफ के अंतर्गत चीनी मिलों को ऋण के संबंध में लोक सभा में दिनांक 03.12.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 611 के भाग (क), (ख) एवं (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

चीनी मिलों का विवरण जिन्हें वर्ष 2020-21 के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की गई

क्र.सं.	चीनी मिल का नाम	ऋण का प्रकार	वितरित राशि
1.	मैसर्स दि भोगपुर को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, भोगपुर-144201, जिला-जालंधर, पंजाब	आधुनिकीकरण	3,75,72,000/-
2.	मैसर्स श्री साई प्रिया शुगर्स लिमिटेड, हिप्पार्गी-मायगुर, विशाल नगर, हिप्पार्गी-अलाबल रोड, तालुका-जामखंडी, जिला बागलकोट-587311, कर्नाटक	इथेनॉल/जेडएलडी	25,00,00,000/-
3.	मैसर्स एमआरएन केन पावर (इंडिया) लिमिटेड, कल्लापुर (एसके) खानपुर - 547155 तालुका- बादामी, जिला-बागलकोट, कर्नाटक	सह-उत्पादन	21,49,08,000/-
4.	मैसर्स मायलर शुगर लिमिटेड, (एमएसएल), बीराब्बी ग्राम, हुविना हाडागाली तालुका, बेल्लारी जिला, कर्नाटक	सह-उत्पादन	7,11,17,000/-
5.	मेसर्स भालकेश्वर शुगर्स लिमिटेड, बासावेश्वर चौक, आई.बी. के पास, भालकी-585328, तालुका-भालकी, जिला- बिदर, कर्नाटक	आधुनिकीकरण	6,24,28,000/-
6.	मैसर्स श्री साई प्रिया शुगर्स लिमिटेड, हिप्पार्गी-मायगुर, विशाल नगर, हिप्पार्गी-अलाबल रोड, तालुका-जामखंडी, जिला बागलकोट-587311, कर्नाटक	इथेनॉल/जेडएलडी	4,06,08,300/-
7.	मैसर्स भोगपुर को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, भोगपुर, जालंधर, पंजाब	सह-उत्पादन	4,57,10,000/-
8.	मैसर्स भोगपुर को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, भोगपुर, जालंधर, पंजाब	सह-उत्पादन	57,36,000/-

क्र.सं.	चीनी मिल का नाम	ऋण का प्रकार	वितरित राशि
9.	मेसर्स द्वारकाधीश शक्कर कारखाना लिमिटेड, शेवेयर, तालुका-सताना, जिला नासिक, महाराष्ट्र	इथेनॉल/जेडएलडी	9,00,00,000/-
10.	मेसर्स सदाशिवराव मांडलिक कागल तालुका एसएसके लिमिटेड, सदाशिवनगर, हमीदवाड़ा-कौलेग, तालुका-कागल, जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र	इथेनॉल/जेडएलडी	9,00,30,000/-
11.	मेसर्स द भोगपुर को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, भोगपुर-144201, जिला-जालंधर, पंजाब	आधुनिकीकरण	8,81,21,000/-
12.	मेसर्स नंदी सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, कृष्णानगर, पोस्ट होसूर, तहसील और जिला. निज़ापुर, कर्नाटक	सह-उत्पादन	18,26,13,000/-
13.	मेसर्स नंदी सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, कृष्णानगर, पोस्ट होसूर, तहसील और जिला. निज़ापुर, कर्नाटक	सह-उत्पादन	9,58,19,500/-
14.	मेसर्स हर्ष शुगर लिमिटेड, ग्राम-सवदत्ती, तालुका-सवदत्ती, जिला-बेलगम, कर्नाटक	सह-उत्पादन	9,16,80,500/-
15.	मेसर्स हर्ष शुगर लिमिटेड, ग्राम-सवदत्ती, तालुक-सवदत्ती, जिला-बेलगम, कर्नाटक	सह-उत्पादन	1,80,32,700/-
16.	मेसर्स द्वारकाधीश शक्कर कारखाना लिमिटेड, शेवेयर, तालुक.-सताना, जिला नासिक, महाराष्ट्र	इथेनॉल/जेडएलडी	2,93,61,700/-
17.	मेसर्स भालकेश्वर शुगर्स लिमिटेड, बासावेश्वर चौक, आई.बी. के पास, भालकी-585328, तालुका- भालकी, जिला-बिदर, कर्नाटक	आधुनिकीकरण	1,18,79,000/-
18.	मेसर्स द्वारकाधीश शक्कर कारखाना लिमिटेड, शेवेयर, तालुक.-सताना, जिला नासिक, महाराष्ट्र	इथेनॉल/जेडएलडी	1,96,84,300/-
कुल			**1,44,53,01,000/-**

चीनी मिलों का विवरण जिन्हें वर्ष 2021-22 के दौरान वित्तीय सहायता दी गई

क्र.सं.	चीनी मिल का नाम	ऋण का प्रकार	वितरित राशि
1.	मेसर्स सदाशिवराव मांडलिक कागल तालुका एसएसके लिमिटेड, सदाशिवनगर, हमीदवाड़ा-कौलेग, तालुका-कागल, जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र	इथेनॉल/जेडएलडी	9,00,29,600/-
2.	मेसर्स बन्नारी अम्मन शुगर्स लिमिटेड, अलागांची ग्राम, नंजनगुड तालुका, जिला मैसूर, कर्नाटक	इथेनॉल/जेडएलडी	14,99,70,400/-
3.	मेसर्स बन्नारी अम्मन शुगर्स लिमिटेड, अलागांची ग्राम, नंजनगुड तालुक, जिला मैसूर, कर्नाटक	इथेनॉल/जेडएलडी	31,01,79,600/-
4.	मैसर्स नंदी सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, कृष्णानगर, पोस्ट होसूर, तहसील और जिला- निज़ापुर, कर्नाटक	सह-उत्पादन	*13,98,20,400/-
5.	मैसर्स नंदी सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, कृष्णानगर, पोस्ट होसूर, तहसील और जिला. निज़ापुर, कर्नाटक	सह-उत्पादन	*13,86,12,100/-
6.	मेसर्स श्री नर्मदा खंड उद्योग सहकारी मंडली लिमिटेड, धारीखेड़ा, पी.ओ. टिम्बी, तालुका राजपीपला (नन्दोद), जिला नर्मदा, गुजरात	इथेनॉल/जेडएलडी	*15,90,08,000/-
7.	मैसर्स कर्मयोगी अंकुशराव टोपे समर्थ सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, पोस्ट अंकुशनगर, तालुका अंबाद, जिला जलना, महाराष्ट्र	इथेनॉल/जेडएलडी	*22,33,79,900/-
कुल			**1,21,10,00,000/-**

* प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 21.09.2021 से पहले अर्थात एसडीईएफ ऋण योजनाओं के बंद होने से पहले जारी कर दी गई है।

*****

चीनी मिलों का विवरण जिन्हें वर्ष 2022-23 के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की गई

क्र.सं.	चीनी मिल का नाम	ऋण का प्रकार	वितरित राशि
1.	मेसर्स डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, हरियावां, हरदोई, उ.प्र.	सह-उत्पादन	*36,31,37,000/-
2.	मेसर्स खाटव मान तालुका एग्रो प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, सतारा, महाराष्ट्र	सह-उत्पादन	*4,25,00,000/-
3.	मेसर्स कर्मयोगी अंकुशराव समर्थ एसएसके लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र	इथेनॉल	*45,96,100/-
कुल			**41,02,33,100/-**

प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 21.09.2021 से पहले अर्थात एसडीएफ ऋण योजनाओं के बंद होने से पहले जारी कर दी गई है।

*****

<u>चीनी मिलों का विवरण जिन्हें वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की गई</u>

शून्य

*****